तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/12/21 बहस सुनी जाकर हुक्म सहमत [signature] [signature]	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टहटड़ा में पेश हुई पक्षकारान मय वकील उपस्थित। वकीलो की बहस सुनी गई। मुताबिक सहमति से दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया। अतः मुताबिक सहमति व मुलाय से दावा डिक्री किया जाता है। प्रस्तुत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मर्तब दाखिल दफ्तर हो। [signature] **पीठासीन अधिकारी** **प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021** **कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत टहटड़ा** **उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंगल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1/14/2021
तारीख दायरा : 08.02.2021

उनवान

1.मक्खन पुत्र पन्ना जाति गुर्जर निवासी परबैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
.....वादी।

बनाम

1.हरिराम उर्फ हरिकिशन पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी ग्राम भगत का बास तहसील रैणी (अलवर)
2.कलावती पत्नी खेमचन्द जाति बैरवा निवासी ब्रहमचारी गौहल्ला दरगु का स्थान अलवर।
3.राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।
4.तहसीलदार तहसील कार्यालय रैणी जिला अलवर।
5.उप पंजीयक रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
.....प्रतिवादीगण।

(राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए एवं 188 आर.टी.एक्ट.)

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय ::

दिनांक : 27.12.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 1.96 है0 एवं आराजी खसरा नम्बर 614 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम पाड़ली तहसील रैणी में स्थित है जो विवादित आराजी है। उक्त आराजी के बन्दोबस्त स. 2076 से पूर्व साबिक ख.न.524 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा था। ग्राम पाडली का गत बन्दोबस्त सम्वत् 2014–20 में हुआ था। किन्तु उक्त बन्दोबस्त के वक्त मिलान क्षेत्रफल तैयार नहीं किया गया था। इस कारण बन्दोबस्त स0 2020 से पूर्व भी विवादित आराजी के गत साबिक ख.न.524 रकबा 8 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी के बन्दोबस्त स. 2014 से पूर्व गत साबिक ख.न. 479 रकबा 25 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। जिसकी पुष्टी नक्शा ट्रेस मसाबी वो नक्शा ट्रेस वो गत साबिक नक्शा ट्रेस से होती है। विवादित आराजी के गत साबिक खातेदारान् वादी के पूर्वज शंकर वल्द काला, औंकार वल्द काल्या व देवला वल्द काल्या तीन चौथाई भाग के व अन्य जूथा वल्द भूरा मीना एक भाग के काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहे है। साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा के हाल बन्दोबस्त स. 2046 में विवादित आराजी के अलावा ख.न. 690/0.06 ,691 रकबा 0.35, 692/742 रकबा 0.18 हैक्टेयर बने है जिस आराजी पर गत साबिक काश्तकार जूथा वल्द भूरा मीना के वारिसान काबिज काश्तकार है।

इस प्रकार विवादित आराजी से गत साबिक काश्तकार जूथा वल्द भूरा के वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण दावे में भी बतौर प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। ग्राम पाडली माफी का गांव था किन्तु वादी के पूर्वज वक्त राजस्थान जागीर रिजम्पसन एक्ट लागू होने व माफी रिज्यूम होने के वक्त से काबिज व राजस्व रिकार्ड में बतौर काश्तकार दाखिल होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और वादी विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा उक्त विवादित आराजी को बिना अधिकार व खिलाफ मौका वादी या उनके पूर्वजो को सूचना दिये बिना सिवायचक दर्ज कर दिया और उसके पश्चात् सम्वत् 2027 में प्रतिवादी सख्या 2 को आवंटन कर दिया। गलत इन्द्राज व आवंटन की आड़ में प्रतिवादीनी सख्या 2 द्वारा विवादित आराजी ख.न. 613/1.96, 614 रकबा 0.24 हैक्टेयर को सालिम भाग को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.05.2001 को विक्रय कर बयानामा पंजीबद्व करवा दिया गया। सम्वत् 2020 के पश्चात् के समस्त इन्दाज आवंटन व बयनामा निरस्तनीय है व दुरूष्ती योग्य होने से वादी घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी बन्दोबस्त इन्द्राज, बयनामा एवं आवंटन इन्द्रज को अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किय जाने का निवेदन किया गया।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है। शेष सभी कथन अस्वीकार है। दावा वादी खारिज किया जावे।

मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से स्वंय मक्खन वादी एवं गवाह भीखाराम का शपथ पत्र पेश किया गया।

हमने योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया गया। वाद पत्र का साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रैस एवं मोमिया सीट व मौखिक साक्ष्य में गवाह शपथ पत्र एवं स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है।

वाद पत्र को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये गये है। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल स. 2046 के अनुसार साबिक 524 से हाल खसरा नम्बर 613, 614, 690, 691 बना है। एवं साबिक ख.न. 372 मिन/612/742 से हाल ख.न. 750/727/0.10 बना है।

नकल जमाबन्दी स. 2012 प्रदर्श 17 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा पर शंकर पुत्र काल्या,जोकार पुत्र काल्या गूजर देवल्या पुत्र काल्या , झूथा पुत्र भूरा मीणा हर चार समान भाग साकिन परबैणी गैर मोरोसी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी स. 2019 प्रदर्श 15 में साबिक ख.न. 524 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पर शंकर वल्द कालूनानमा वल्द मंगला,फेहली पुत्र देवल्या कोम गूर्जर झूथा पुत्र भूरा कोम मीणा साकिन परबैणी अतिक्रमी का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2016 में दर्ज है। नकल जमाबन्दी स. 2039 प्रदर्श 12 में खसरा नम्बर 496 ,524,533 पर मु0 कलावती पत्नि खेमचन्द चमार साकिन राजगढ दिनांक 15.06.1970 अलोली गैर खातेदार 05 वर्ष का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2026 प्रदर्श–13 में दर्ज है। जमाबन्दी स. 2023 में ख.न. 524 राजकीय भूमि दर्ज है। नकल जमाबन्दी स. 2051–54 प्रदर्श–9 में खसरा नम्बर 613, 614, 620, 663, 664, 665, 690, 691,692/742 पर मु0 कलावती पत्नि खेमचन्द कोम चमार साकिन रागढ खातेदार का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2047 प्रदर्श–10 में दर्ज है।

नकल जमाबन्दी स. 2075 प्रदर्श–1 के अनुसार ख.न. 613 रकबा 1.96 पर कलावती पत्नि खेमचन्द हि.15/98 जाति बैरवा साकिन राजगढ खातेदार ,हरिराम पुत्र रामहेत हि0 83/98 जाति बैरवा साकिन भगत का बास खातेदार का अकंन दर्ज है। नकल जमाबन्दी स. 2075 प्रदर्श–2 में ख.न. 614 रकबा 0.24 पर हरिराम पुत्र रामहेत हि0 पूर्ण जाति बैरवा साकिन भगत का बास बबेली खातेदार का अकंन दर्ज है। नकल जमाबन्दी स. 2075 प्रदर्श–3 के अनुसार ख.न. 612/742, 620,664,665,699,691 पर कलावती पत्नि खेमचन्द हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा साकिन राजगढ खातेदार का अकंन दर्ज है। नकल जमाबन्दी स. 2067–70 के अनुसार ख.न. 613 रकबा 1.96 पर हरिराम पुत्र रामहेत जाति बैरवा सा.भगत का बास 166/196 हि0 कलावती बेचा खेमचन्द 38/196 हि0 जाति चमार साकिन राजगढ खातेदार का अकंन दर्ज है तथा ख.न. 614 रकबा 0.24 पर हरिराम पुत्र रामहेत बैरवा खातेदार का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2059–62 में दर्ज है।

बयनामा दिनांक 30.05.2001 प्रदर्श–8 के अनुसार खसरा नम्बर 613 रकबा 1.96 का 166/196 हिस्सा व ख.न. 614 रकबा 0.24 सालिम का बेचान कलावती पत्नि खेमचन्द चमार द्वारा हरिराम पुत्र रामहेत भगत का बास को बेचान किया गया। नामांतकरण बयनामा प्रदर्श–7 के अनुसार आराजी ख.न.613 रकबा 1.93 है0 कलावती पत्नि खेमचन्द चमार बहक हरिराम पुत्र रामहेत बैरवा साकिन भगत का बास बबेली 166/196 हि0 खातेदार बाकी बदस्तूर 30/196 हि0 का स्वीकार किया गया है। चूंकि साबिक रिकार्ड में वादी के पूर्वज का नाम दर्ज था और जमाबन्दी स.2023 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा पूर्व उक्त आराजी से पूर्व इन्द्राज का हजफ कर सिवायचक दर्ज कर दिया जो विधि अनुकूल नहीं है तथा गलत इन्द्राज की आड में उक्त आराजी का आवंटन होकर प्रतिवादीया न.2 की खातेदारी में दर्ज

होने के फलस्वरूप प्रतिवादीया न.2 ने उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादी न.1 को कर दिया इस प्रकार बयनामा के आधार पर जो अकंन प्रतिवादी न.2 के नाम आया है वह भी कानून की नजर में शून्य प्रभावी है। अतः गलत इन्द्राज के आधार पर निष्पादित बयनामा भी कानूनन वादी के हक व हकूकों के मुकाबिले शून्य एवं निष्प्रभावी है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्वत् 2012 में साबिक आराजी ख.न. 524 वादी के पूर्वज शंकर, औंकार देवल्या पुत्रान कल्या व झूथां पुत्र भूरा मीणा की गैर मोरोसी की आराजी थी। सम्वत् 2023 में उक्त आराजी राजकीय भूमि दर्ज हुई तत्पश्चात् सम्वत् 2039 की जमाबन्दी प्रदर्श–12 के अनुसार उक्त साबिक आराजी 524 पर मु0 कलावती पत्नि खेमचन्द चमार साकिन राजगढ को दिनांक 15.06.1970 को आवंटन हुई है तथा गैर खातेदारी में दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार कलावती की खातेदारी का अकंन दर्ज है। जबकि सम्वत् 2012 के अंकन के अनुसार इस आराजी पर वादीगण के पूर्वजों के नाम गैर मोरूसी का अकंन होने से स्वतः ही खातेदारी अधिकार हासिल हो गये थे। वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो व्यक्ति जिस भूमि पर काबिज काश्त था उसे स्वतः ही कानूनन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये।

इस मामले में आवंटी प्रतिवादीया न.2 कलावती द्वारा खातेदारी का अकंन होने के उपरान्त उक्त आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया गया है तथा बेचान का नामांतकरण में दर्ज होकर केता प्रतिवादी न.1 राजस्व रिकार्ड में आ चुका है। परन्तु इस मामले में प्रतिवादी न.1 द्वारा वादी के वाद पत्र का कोई प्रतिरोध नहीं किया है और ना ही कोई अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश की गई है। जबकि वादी की ओर से वाद पत्र में उल्लेखित सजरा को अपने शपथ पत्र एवं गवाह के शपथ से प्रमाणित करवाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप वादी कानूनन विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है, लिहाजा दावा वादी डिक्री जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 1.96 हैक्टेयर एवं ख.न. 614 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम पाड़ली तहसील रैणी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर दर्ज हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार रैणी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)
27.12.21

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)
27.12.21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 1/14/2021
तारीख दायरा : 08.02.2021

उनवान

1.मक्खन पुत्र पन्ना जाति गुर्जर निवासी परबैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
.....वादी।

बनाम

1.हरिराम उर्फ हरिकिशन पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी ग्राम भगत का बास तहसील रैणी (अलवर)
2.कलावती पत्नी खेमचन्द जाति बैरवा निवासी ब्रहमचारी मौहल्ला दरगु का स्थान अलवर।
3.राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।
4.तहसीलदार तहसील कार्यालय रैणी जिला अलवर।
5.उप पंजीयक रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
.....प्रतिवादीगण।

(राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए एवं 188 आर.टी.एक्ट.)

पर्चा डिक्री

दिनांक 27.12.2021

दावा वादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 1.96 हैक्टेयर एवं ख.न. 614 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम पाड़ली तहसील रैणी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर दर्ज हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार रैणी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

27.12.21

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)